

चौपाल

निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम : श्री विजय किरन आनन्द,
पदनाम : जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर।
निरीक्षित कार्यालय : चौपाल मो0 मेहमानशाह, नगर पालिका
परिषद, शाहजहाँपुर।
निरीक्षण का दिनांक : 10-05-2016

दिनांक 10-05-2016 को मेरे द्वारा नगर पालिका परिषद कार्यालय, शाहजहाँपुर के मोहल्ला मेहमानशाह में चौपाल का आयोजन कर जन समस्याओं की सुनवायी की गई तथा शासन द्वारा आयोजित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। चौपाल के दौरान मौके पर श्री मुनेन्द्र नाथ उपाध्याय, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/प्रभारी अधिकार (स्था0नि0), श्री आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव, उप जिलाधिकारी-सदर, शाहजहाँपुर, श्री के0एल0चौधरी, सहायक निदेशक सूचना एवं नगर पालिका परिषद के अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे। आयोजित चौपाल का विवरण निम्नवत है :-



सफाई व्यवस्था:-

नगर पालिका परिषद कार्यालय, शाहजहाँपुर के मोहल्ला मेहमानशाह में चौपाल के दौरान मो0 मेहमानशाह में गलियों, नालियों एवं नालों की सफाई व्यवस्था की समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान मोहल्ले निवासियों से नगर पालिका परिषद के ओर से तैनात सफाई निरीक्षक श्री शाहिद हुसैन एवं सफाई पर्यवेक्षक श्री रामबाबू के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गयी कि वह मोहल्ले में नियमित रूप से सफाई के लिए आते हैं अथवा नहीं आते हैं। निवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि सफाई निरीक्षक श्री शाहिद हुसैन कभी भी मोहल्ले में नहीं आते

तथा सफाई पर्यवेक्षक श्री रामबाबू ही मोहल्ले में आते हैं। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) को निर्देशित किया गया कि वह सफाई निरीक्षक श्री शाहिद हुसैन का स्पष्टीकरण प्राप्त कर प्रस्तुत करें साथ ही मौके पर सफाई निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि वह रोस्टर निर्धारित करते हुए नियमित रूप से क्षेत्र में भ्रमण कर मोहल्लों की सफाई कार्य का निरीक्षण करेंगे तथा अपनी आख्या उपलब्ध करायेंगे। चौपाल में सफाई कार्यों की समीक्षा के दौरान सफाई पर्यवेक्षक श्री रामबाबू से मोहल्ले में तैनात सफाई कर्मियों के सम्बन्ध में जानकारी करने पर उनके द्वारा अवगत कराया गया कि मोहल्ला मेहमानशाह में श्रीमती रामलली, श्री सुरेश, श्री श्यामाचरन, श्री राजेन्द्र, श्री छोटू, श्री अरुण, एवं श्री शब्बू सफाई कर्मी तैनात हैं। निवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि वह मात्र एक सफाई कर्मी श्री छोटू ही सफाई करने हेतु मोहल्ले में आता है तथा शेष अन्य कोई सफाई कर्मी नियमित रूप से नहीं आता है। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद शाहजहाँपुर को निर्देशित किया गया कि वह सभी सफाई कर्मियों का स्पष्टीकरण प्राप्त करें तथा भविष्य हेतु सचेत करते हुए उक्त सभी सफाई कर्मियों को नियमित रूप से सफाई करने हेतु निर्देशित करें यदि भविष्य में उनके द्वारा सफाई कार्यों में शिथिलता पायी जाये तो उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करें।




मोहल्ले के निवासियों द्वारा चौपाल के दौरान अवगत कराया गया कि मोहल्ले का चारखम्बे वाला नाला चोक है तथा उसपर कतिपय व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त मोहल्ले का पुराना गोरखाने वाला बड़ा नाला भी चोक है तथा उसकी कोई सफाई आदि नहीं की गयी है जिस कारण वर्षा ऋतु के समय जल निकासी न हो

पाने के कारण मोहल्ले में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है इससे आवागमन प्रभावित होता है और बिमारियां आदि फैलने का खतरा बना रहता है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में मौके पर उपस्थित उप जिलाधिकारी सदर एवं सहायक अभियन्ता नगर पालिका परिषद शाहजहाँपुर को निर्देशित किया गया कि वह उपरोक्त दोनों नालों को संयुक्त रूप से निरीक्षण करलें तथा नाले से अवैध कब्जा हटाते हुए अतिक्रमण मुक्त कराते हुए उपरोक्त दोनों नालों की तलीझाड़ सफाई कराना सुनिश्चित करें। उक्त कार्य आगामी एक माह के भीतर अनिवार्य रूप से पूर्ण हो जाये ताकि वर्षा ऋतु के दौरान मोहल्ले में जल भराव की स्थिति उत्पन्न न होने पाये।


कार्यवाही-उप जिलाधिकारी सदर/अधिसासी अधिकारी न0प0परि0, शाह0/सहा0 अभि0 न0प0परि0, शाह0।



मोहल्ला मेहमानशाह में सफाई व्यवस्था सुदृढ़ रखने हेतु अधिसासी अधिकारी नगर पालिका परिषद को निर्देशित किया गया कि वह मोहल्ले के 05 सक्रिय युवाओं की एक निगरानी टीम गठित करें जो निष्पक्ष रूप से मोहल्ले में होने वाली गंदगी को चिन्हित कर सफाई कर्मियों के माध्यम से सफाई कराना सुनिश्चित करें साथ ही यह टीम मोहल्ले में कूड़ा डाले जाने वाले स्थानों चिन्हित कर ले तथा नगर पालिका के माध्यम से वहां पर कूड़ादान रखवाये उसके उपरान्त समय-समय पर मोहल्ले में भ्रमण कर निगरानी करें किसी भी व्यक्ति द्वारा कूड़ादान के बाहर कूड़ा न डाला जाये। अधिसासी अधिकारी नगर पालिका परिषद शाहजहाँपुर को निर्देशित किया गया कि वह चिन्हित किये गये स्थानों पर कूड़ादान रखवाना सुनिश्चित करें तथा सभी मोहल्ले के निवासियों से अपील की गयी कि वह अपने घरों का कूड़ा आदि कूड़ेदान में ही डाले साथ ही अपनी-अपनी गलियों की सफाई आदि में अपना सहयोग प्रदान करें।

प्रकाश व्यवस्था :-


चौपाल के दौरान मोहल्ला मेहमानशाह में स्ट्रीट लाइट के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गयी। निवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि मोहल्ले की अधिकांश स्ट्रीट लाइट खराब है तथा गलियों में रात में अंधेरा पड़ा रहता है जिसके कारण अपराधिक तत्वों के द्वारा किसी भी गम्भीर घटना की सम्भावना इन्कार नहीं किया जा सकता है। नगर पालिका परिषद शाहजहाँपुर कार्यालय में प्रकाश व्यवस्था हेतु उत्तरदायी कर्मचारी के उपस्थित न होने के कारण जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकी यह स्थिति आपत्तिजनक है कि उक्त चौपाल की सूचना होने के उपरान्त भी प्रकाश व्यवस्था सम्बन्धी कोई भी अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित नहीं रहा। यह कृत्य अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारितापूर्ण कार्य प्रणाली का परिचायक है। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) शाहजहाँपुर को निर्देशित किया गया कि इस कृत्य हेतु सम्बन्धित अधिकारी व कर्मचारी का वेतन बिना अधोहस्ताक्षरी के अनुमति के आहरित न किया जाये। तथा उनको कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये।



पेयजल:-

चौपाल के दौरान निवासियों से पेयजल के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गयी। उनके द्वारा बताया गया कि मोहल्ला मेहमानशाह में घरों में टंकियों का कनेक्शन नहीं है पूर्व में पाइप लाइन पड़ी थी जो वर्तमान में बन्द है। उनके द्वारा बताया गया कि वर्तमान समय में

मोहल्ले के निवासियों द्वारा इण्डिया मार्क हैण्डपम्पों, निजी हैण्डपम्पों एवं सवमर्सिबल मोटर के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। मौके पर उपस्थित अधिशासी अभियन्ता जल निगम शाहजहाँपुर से उपरोक्त के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहा गया उनके द्वारा अवगत कराया गया कि वह इस मोहल्ले में पानी की सप्लाई दूर स्थित ट्यूबवेल के माध्यम से की जाती है दूरी अधिक होने के कारण पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है वर्तमान में इस क्षेत्र के लिए ओवर हेड टैंक स्वीकृत हो चुका है तथा उस हेतु भूमि का चयन कर लिया गया है शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जायेगा उसके उपरान्त नये सिरे से मोहल्ले वासियों को पेयजल हेतु कनेक्शन उपलब्ध करा दिये जायेगा।



सार्वजनिक वितरण प्रणाली:-

चौपाल के दौरान मोहल्ला मेहमानशाह में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत मिलने वाले राशन व मिटटी के तेल के वितरण के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गयी। निवासियों द्वारा बताया गया कि मोहल्ले में 04 कोटेदार है जिसमें 01-श्री रमाकान्त दीक्षित 02-श्री राजेश मौर्या 03-श्रीमती भगवती देवी 04-श्री श्याम मोहन अग्रवाल उपरोक्त सभी चारो कोटेदारों द्वारा न तो खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। उक्त के सम्बन्ध में जिला पूर्ति अधिकारी एवं उपजिलाधिकारी सदर को निर्देशित किया गया कि वह तत्काल सभी कोटेदारों की गहनता से जांच करें तथा दोषी कोटेदारों विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायें तथा धनराशि की वसूली की कार्यवाही की जाये। कृत कार्यवाही सहित अपनी आख्या एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें।

जिला पूर्ति अधिकारी एवं उप जिलाधिकारी सदर को यह भी निर्देशित किया गया कि उपरोक्त सभी 04 कोटेदारों को हटाते हुए उनके स्थान पर योग्य एवं निष्ठावान युवाओं का आवेदन प्राप्त कर लॉटरी के माध्यम से चयन करते हुए नये कोटेदारों को नियुक्त कर राशन व मिट्टी का तेल वितरण नियमित रूप से कराना सुनिश्चित करें।

चौपाल के दौरान निवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि उनको नये राशन कार्ड अबतक नहीं मिले है उक्त के सम्बन्ध में जिला पूर्ति अधिकारी एवं उप जिलाधिकारी सदर को निर्देशित किया गया कि वह इस मोहल्ले में कैम्प लगाकर निशुल्क पर्ची वितरण कराये और 15 दिन के भीतर पात्र व्यक्तियों को प्रिन्ट कराकर राशन कार्ड उपलब्ध कराये। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये गये कि खाद्यान्न एवं मिट्टी के तेल के वितरण हेतु निर्धारित तिथि पर पर्यवेक्षकों टीम लगाकर उनके समक्ष वितरण सुनिश्चित कराये।



विद्युत व्यवस्था :-

चौपाल के दौरान मोहल्ला मेहमानशाह में विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गयी। निवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि मोहल्ले की अधिकांश विद्युत तार टूटे हुये है लाइनें काफी पुरानी हो गयी है जिसके कारण आय दिन लोकल फॉल्ट होते रहते है। उक्त के सम्बन्ध में मौके पर उपस्थित अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय एवं अवर अभियन्ता विद्युत से जानकारी प्राप्त की गयी। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि वह वर्तमान में आर0ए0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत पुरानी विद्युत लाइनों को हटाकर नई बन्ध लाइनों को डाले जाने कार्य प्रगति पर है एक माह के भीतर सभी पुरानी लाइनों को बदल दिया जायेगा। चौपाल के दौरान मोहल्ले में स्थापित कुल विद्युत कनेक्शन के सम्बन्ध में अधिशासी

अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि आवासी के अनुपात से मोहल्ले में विद्युत कनेक्शन कम है इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश मोहल्लेवासियों द्वारा अवैध रूप से कटिया डालकर विद्युत चोरी की जा रही है। चौपाल के दौरान मोहल्लेवासियों से विद्युत कनेक्शन लिये जाने की अपील की गयी कि वह विद्युत कनेक्शन लेने के उपरान्त ही विद्युत का उपभोग करने का आग्रह किया गया। अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय को निर्देशित किया गया कि वह आगामी सप्ताह में दिन निर्धारित कर मोहल्ले में शिविर लगाकर मोहल्लेवासियों को विद्युत कनेक्शन वितरण करायें साथ ही मोहल्ले में अधिक से अधिक विद्युत कनेक्शन लेने हेतु मोहल्लेवासियों को प्रेरित करें। यदि मोहल्लेवासियों द्वारा उसके उपरान्त कटिया डाल कर विद्युत चोरी की जाए तो उसके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर कठोर विधिक कार्यवाही की जाए।



कानून व्यवस्था :-

नगर पालिका परिषद शाहजहाँपुर के मोहल्ला मेहमानशाह में चौपाल के दौरान कानून व्यवस्था व अपराधों की समीक्षा की गयी। मोहल्लेवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में मोहल्ले में सट्टे का कारोबार, कच्ची शराब का निर्माण व उसका व्यापार, जुओं के अड्डे बहुतायत मात्रा में संचालित है जिसके कारण मोहल्ले के बच्चे व युवा पीढ़ी दुरव्यसनों से ग्रसित होकर बरवादी की कगार पर पहुंच रही है। यह स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक व चिन्ताजनक है इस प्रकार शाहजहाँपुर नगर के अन्दर इस तरह के अपराध कारित होना निन्दनीय है। उप जिलाधिकारी सदर एवं क्षेत्राधिकारी नगर को निर्देशित किया गया कि वह

मोहल्लेवासियों से जानकारी कर संदिग्ध स्थानों पर छापामारी करें तथा दोषी व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करायें। सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली एवं प्रभारी चौकी राजघाट को निर्देशित किया गया कि वह अबिलम्ब कच्ची शराब, जुओं के अड्डे एवं सट्टा कारोबारियों को चिन्हित कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करें और इस तरह के अवैध कारोबार पूर्ण रूप से बन्द करायें।

कार्यालय जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर।

पत्रांक: 130 /ओएसडी/कैम्प/2016

दिनांक: मई 16, 2016

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2- निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली।
- 4- मुख्य विकास अधिकारी, शाहजहाँपुर।
- 5- अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)/ (प्रशासन), शाहजहाँपुर।
- 6- नगर मजिस्ट्रेट, शाहजहाँपुर।
- 7- समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद शाहजहाँपुर।
- 8- प्रभारी अधिकारी (स्थानीय निकाय), कलेक्ट्रेट, शाहजहाँपुर को इस निर्देश के साथ कि निरीक्षण आख्या की एक-एक प्रति प्रत्येक नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- 9- अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (प्र०ख०), शाहजहाँपुर।
- 10- अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, शाहजहाँपुर।
- 11- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, शाहजहाँपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 12- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, शाहजहाँपुर को उक्त निरीक्षण आख्या अपलोड करने हेतु प्रेषित।
- 14- सहायक अभियन्ता, नगर पालिका परिषद, शाहजहाँपुर।
- 15- अवर अभियन्ता, नगर पालिका परिषद, शाहजहाँपुर।


(विजय किरन आनन्द),
जिलाधिकारी,
शाहजहाँपुर।